न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 124/2017

उनवानी प्रकरण :–

नरेन्द्र सिंह पुत्र सोरन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर———————————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 44/2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरीसिंह बघेला अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–13.11.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 13.02.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का पिदावली ने रंजिश वश अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने सम्बत 2073 में आराजी खसरा नम्बर 1096 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा, 1097 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 1100 रकवा 04 बीघा 05 विस्वा तथा 1081 रकवा 16 बीघा 19 विस्वा कुल रकवा 23 बीघा 11 विस्वा में से 02 बीघा 17 विस्वा भूमि पर कब्जा कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सूचित एंव अपीलान्ट की तामील किए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मात्र पटवारी हल्का के बयानो के आधार पर उक्त खसरा नम्बरो के कुल रकवा 23 बीघा 11 विस्वा में से 2 बीघा 17 विस्वा भूमि पर सम्बत 2073 में फसल सरसों बोकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आराजी से बेदखल करते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एंव लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित की गई है। तथा फसल सरसो को कब्जेराज लेकर नीलामी की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट पर सम्मनो की तामील नही हुई ना ही कोई सूचना दी गई। अपीलान्ट की बैक पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को किसी प्रकार से साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर नही दिया

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

गया है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही किया है अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.2.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2017 तथा रिपोर्ट पटवारी की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नही कराये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है जो अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य एंव सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो गलत है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2017 की जानकारी नही रही। अपील प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व अपीलान्ट को पुलिस से निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है फिर भी पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा हटा लिया है, वर्तमान में आराजी मौके पर खाली पडी है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 अपास्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर सम्मन की तामील नहीं हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय के समक्ष जिरह, बयान, एंव जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्णरूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।
4. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, न ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा हटा लिया है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत असल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर धौलपुर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)